

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक— 23/09/2026

संचिका सं०-03/आ01-92/2026।/510730 श्री अजीत अमर हरिजन, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता, सारण, छपरा सम्प्रति कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा गठित आरोप पत्र एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के गंभीर आरोप है, जिसकी बिंदुवार विवेचना निम्नवत है:-

- I. श्री अजीत अमर हरिजन, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता, सारण, छपरा सम्प्रति कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के विरुद्ध परिवादी श्री रवि कुमार राम के द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक-253 दिनांक 28.04.2026 द्वारा श्री अजीत अमर हरिजन के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र में कार्रवाई न होने के संबंध में परिवाद विभाग में समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा गठित आरोप पत्र विभाग में सीधे उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक-425893 दिनांक-27.05.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण से परिवाद के साथ उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र की सम्पुष्टि हेतु पत्राचार किया गया। जिसकी सम्पुष्टि दूरभाष पर जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा की गयी है।
- II. तदोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से श्री अजीत अमर हरिजन के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र का गठन किया गया एवं विभागीय पत्रांक-450174 दिनांक 30.06.2026 द्वारा उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी। निदेश के आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा लिखित बचाव अभिकथन उपलब्ध कराया गया।
- III. विभागीय पत्रांक-425893 दिनांक-27.05.2026 के आलोक में जिला पदाधिकारी, छपरा के पत्रांक-354 दिनांक 23.06.2026 द्वारा श्री अजीत अमर हरिजन के विरुद्ध साक्ष्य सहित पूरक आरोप पत्र गठित कर प्रेषित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पूरक आरोप पत्र में आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का नया आरोप प्रतिवेदित किया गया है।
- IV. इसी क्रम में पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-5825 दिनांक-07.08.2026 द्वारा श्री अजीत अमर हरिजन, प्रोग्राम ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सहरसा पिता स्व. अमर हरिजन, सा0 रैनी, थाना दरौंदा, जिला सिवान के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में प्रतिवेदित कांड की सूचना, प्राथमिकी एवं श्री अजीत अमर हरिजन के निवास एवं अन्य ठिकानों पर दिनांक 07.08.2026 को 04 स्थानों पर तलाशी/छापामारी की कार्रवाई की छायाप्रति भेजी गयी है।
- V. यह भी कि श्री अजीत अमर हरिजन के विरुद्ध आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड सं.-17/26 दिनांक 05.08.2026 धारा-13(2) सहपठित धारा-13 (1)(बी) भा0नि0अधि0 1988 (यथा संशोधित 2018) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किए जाने की सूचना दी गयी।
- VI. श्री अजीत अमर हरिजन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध एवं भ्रष्ट तरीके से अपने वैध आय से स्वयं को

साशय समृद्ध करते हुए 62,20,550 रुपये अधिक की परिसंपत्ति अर्जित किया गया है जो उनके वैध आय से 72.35 प्रतिशत अधिक है। श्री अजीत अमर हरिजन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(बी) यथा संशोधित 2018 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है।

2. श्री अजीत अमर हरिजन का कृत्य बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 1976 के नियम-3(1) प्रावधानों के विपरीत है।

3. उपर्युक्त कृत्य के लिए श्री अजीत अमर हरिजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर है तथा निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों के तहत जीवन निर्वाह-भत्ता देय होगा।

5. आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेजा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./—

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक : 03/आ01-92/2026. 510730 पटना, दिनांक 29/09/2026

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा०शि०)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, एवं श्री अजीत अमर हरिजन (निलंबन मुख्यालय- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Vijay Kumar Pandey

Date: 29/09/2026 15:25:32